निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 176) पटना, शनिवार, 2 अप्रील 2022

विधि विभाग

अधिसूचना

2 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–01/2022–2829/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रैल 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 06, 2022]

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत–गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।– (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–2 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (104) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

धारा 2 (104)–"**नगरपालिका के बोर्ड**" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 12 एवं 23 के अन्तर्गत आम निर्वाचन में अथवा उप निर्वाचन में निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों का निर्वाचित निकाय;

3. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–11 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

धारा 11 (1)–प्रत्येक नगरपालिका में एक–एक निर्वाचित मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद होंगे तथा निर्वाचित पार्षदों की संख्या उतनी होगी जितने कि उस नगरपालिका क्षेत्र में इस अधिनियम की धारा–13 के उपबंधों के अधीन अवधारित वार्ड होंगे। निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद नगरपालिका के सदस्य होंगे।

4. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–12 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

धारा 12 (1)–उपधारा (3) में यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक नगरपालिका में धारा–23 के अन्तर्गत निर्वाचित मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद सदस्य होंगे तथा नगरपालिकाओं के पार्षदों के सभी स्थान संबंधित नगरपालिका क्षेत्र की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों से भरे जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए हरेक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा जिन्हें वार्ड कहा जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) (क) में आये शब्द "सदस्यों के कुल स्थानों" को शब्द "पार्षदों के कुल स्थानों" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) (क) एवं (ख) में आये शब्द "स्थानों" को शब्द "वार्ड पार्षद के स्थानों" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

धारा 12 (4)–बैठक में मत देने का अधिकार नगरपालिका के प्रत्येक सदस्य को होगा।

5. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–18 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में आये शब्द "पार्षद" को शब्द "मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–23 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 23 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

<u>धारा 23 (1)</u>–मुख्य पार्षद एवं उप–मुख्य पार्षद उसी नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में निर्वाचित होगा, जो धारा 24 के अधीन गोपनीयता की शपथ लेने के तुरत बाद अपना कार्य ग्रहण करेगा।

<u>धारा 23 (2)</u>–मृत्यु, पद त्याग, बर्खास्तगी या अन्यथा कारणों से मुख्य पार्षद या उप–मुख्य पार्षद पद की आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन होगा और इस प्रकार निर्वाचित मुख्य पार्षद अथवा उप मुख्य पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा।

<u>धारा 23 (3)</u>–यदि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति होने के बाद यथाशीघ्र मुख्य पार्षद निर्वाचित पार्षदों में से किसी को नामित करेगा और ऐसा नामित प्रत्येक पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुये कार्यकाल तक पद धारण करेगा।"

7. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–24 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित उपधारा (3) जोड़ा जायेगा :–

धारा 24 (3)–नगरपालिका के मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद एवं सशक्त स्थायी समिति के सदस्य निर्वाचित होने के बाद तीन महीना के अन्दर गोपनीयता की शपथ न ले सके तो वह अपने पद पर नहीं रह जायेगा और उसका स्थान रिक्त माना जायेगा;

परन्तु यह कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले या मामले की कोटि में किसी कारण से तीन महीना की अवधि को जैसा कि उपर कहा गया है इतनी अवधि तक, जो उचित समझे, अभिलिखित कर बढ़ा सकती है।

8. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–25 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 25 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

धारा 25 (1)–मुख्य पार्षद एवं उप–मुख्य पार्षद अपने पद से सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्याग–पत्र दे सकेगा।

धारा 25 (2)–उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्याग–पत्र, ऐसा त्याग–पत्र दिये जाने के सात दिनों के बाद प्रभावी हो जायेगा बशर्त्ते कि उक्त सात दिनों के भीतर यथास्थिति सरकार को संबोधित अपने स्वलिखित त्याग–पत्र वह वापस न ले लें।

धारा 25 (3)–पार्षदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर विहित रीति से इस प्रयोजनार्थ बुलायी गई विशेष बैठक में तत्समय पदधारण करने वाले पार्षदों की संपूर्ण संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को पद से हटाया जा सकेगा, और इस विशेष बैठक के कार्य संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जाए;

परन्तु यह कि मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर इस धारा के अधीन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा;

परन्तु यह और कि पहला अविश्वास प्रस्ताव लाने के एक वर्ष के बीच पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि नगरपालिका के शेष छः माह की अवधि के बीच अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

धारा 25 (4)–इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार के विचार में यदि कोई मुख्य पार्षद/उप–मुख्य पार्षद बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान–बुझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो सरकार ऐसे मुख्य पार्षद/उप–मुख्य पार्षद को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद को उसके पद से हटा सकेगी।

परन्तु धारा–44 के अधीन लोकप्रहरी की नियुक्ति के बाद सरकार, इस उपधारा के अधीन ऐसे लोकप्रहरी की अनुशंसा के आधार पर ही आदेश पारित कर सकेगी।

धारा 25 (5)–इस प्रकार हटाया गया मुख्य पार्षद/उप–मुख्य पार्षद ऐसी नगरपालिका में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुख्य पार्षद/उप–मुख्य पार्षद के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

9. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–26 का संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) में आये शब्द एवं अंक "उपधारा–3" को शब्द एवं अंक "उपधारा–2" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

10. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–27 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) (घ) एवं उपधारा (2) में आये शब्द एवं अंक "उपधारा–3" को शब्द एवं अंक "उपधारा–2" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–29 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 29 में आये शब्द "मुख्य पार्षद" को शब्द "मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

12. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–35 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में आये शब्द "पार्षदों" को शब्द "मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

13. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–49 का संशोधन।–

(i) उक्त अधिनियम की धारा 49 में आये शब्द "पार्षद" को शब्द "मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 49 के स्पष्टीकरण में आये शब्द "पार्षदों" को शब्द "मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

14. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–50 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 50 में आये शब्द "पार्षदों" को शब्द "मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

15. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–51 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) का प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक विलोपित हो जायेगा।

16. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–53 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 53 में आये शब्द "पार्षद" को शब्द "मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

17. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–54 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 54 में आये शब्द "पार्षद" को शब्द "मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षद" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

18. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–60 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 60 में आये शब्द "पार्षदों" को शब्द "मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

19. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–61 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 61 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

धारा 61–कार्यवृत्त का परिचालन एवं निरीक्षण।– नगरपालिका की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी पार्षदों को परिचालित किया जायेगा और जो सभी उपयुक्त समय पर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं किसी पार्षद द्वारा निःशुल्क और अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे शुल्क के भुगतान पर जैसा कि नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाय, नगरपालिका कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

20. बिहार अधिनियम, 11, 2007 की धारा–417 का संशोधन।–उक्त अधिनियम की धारा 417 में आये शब्द "पार्षद" को शब्द "मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, पार्षद" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

21. निरसन एवं व्यावृत्ति।–

(1) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (बिहार अध्यादेश संख्या 01, 2022) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसे कार्रवाई की गई थी।

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

2 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–01/2022–2830/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमत **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 06, 2022)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 06, 2022]

THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2022

AN

ACT

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11,2007).

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy third year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.***—

(1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. ***Amendment of Section-2 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (104) of Section 2 shall be substituted by the following:-

Section 2 (144)- "Board of Councillors" means the elected body of the Municipality consisting of Chief Councillors, Deputy Chief Councillors and

Councillors elected in general election under section 12 and 23 of this Act or in by election of a Municipality.

3. ***Amendment of Section-11 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (1) of Section 11 shall be substituted by the following:-

Section 11 (1)- There shall be one elected Chief Councilor and Deputy Chief Councilor in each municipality and the number of elected councilors shall be such as the number of wards determined under the provisions of section 13 of this Act in that municipal area. The elected chief councilors, deputy chief councilors and councilors will be members of the municipality.

4. ***Amendment of Section-12 of Bihar Act 11, 2007.***—

(i) In the said Act in sub-section (1) of Section 12, wherever the words " all the seats in the municipalities" occurs shall be substituted by the words "all the seats of Councillors in the municipalities".

(ii) In the said Act in sub-section (2) (a) of Section 12, wherever the words " total seats of the member" occurs shall be substituted by the words "total seats of Councillors".

(iii) In the said Act in sub-section (2) (a) and (b) of Section 12, wherever the words " seats" occurs shall be substituted by the words "seats of Councillor".

(iii) In the said Act in sub-section (4) of Section 12 shall be substituted by the following ;-

Every member of the Municipality shall have the right to vote in the meeting.

5. ***Amendment of Section-18 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (2) of Section 18, wherever the words "Member" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and Councillor".

6. ***Amendment of Section-23 of Bihar Act 11, 2007.***—Section 23 of the said Act shall be substituted by following:-

23 (1) A Chief Councillor and Deputy Chief Councillor of the Municipality shall be directly elected by the voters enrolled in the voter's list of that Municipality under the direction, control and supervision of the State Election Commission, who shall assume office forthwith after taking the oath of secrecy under section 24.

23 (2) In the case of any casual vacancy in the office of the Chief Councillor or Deputy Chief councillor caused by death, resignation, removal or otherwise, election to fill up the vacancy to be held such procedure as may be prescribed and the Chief Councillor or the Deputy Chief Councillor so elected shall continue in office for the unexpired term of his predecessor.

23 (3) If any casual vacancy occurs in the office of the Member of the Empowered Standing Committee, the Chief Councillor shall as soon as may, after the occurrence of such vacancy, nominate one of the elected members of the Municipality to fill the vacancy and every Councillor so nominated shall continue in office for the unexpired term of his predecessor."

7. ***Amendment of Section-24 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act after sub-section (2) of Section 23 the following sub-section (3) shall be added :-

Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and the member of Empowered Standing Committee of Municipality fails to make and subscribe, within three months after elected the oath of secrecy, shall cease to hold his office and his seat shall be deemed to have become vacant;

Provided that the State Government may, for reasons to be recorded in writing, extend in each case or class of cases the period of three months as aforesaid by such period as it think fit.

8. ***Amendment of Section-25 of Bihar Act 11, 2007.***—Section 25 of the said Act shall be substituted by following:-

25 (1) The Chief Councillor and Deputy Chief Councillor may resign his office by writing under his hand addressed to the Government.

25 (2) Every resignation under sub-section (1) shall take effect on the expiry of seven days from the date of such resignation, unless within the said period of seven days he withdraws such resignation by writing under his hand addressed to the Government.

25 (3) The Chief Councillor/Deputy Chief Councillor may be removed from office by a resolution carried by a majority of the whole number of Councillors holding office for the time being at a special meeting to be called for this purpose in the manner prescribed, upon a requision made in writing by not less than one third of the total number of Councillors, and the procedure for the conduct of business in the special meeting shall be such as may be prescribed;

Provided that a no confidence motion shall not be brought against the Chief Councillor/Deputy Chief Councillor within a period of two years of taking over charge of the post;

Provided further that a no confidence motion shall not be brought again within one year of the first no confidence motion;

Provided further also that no confidence motion shall not be brought within the residual period of six months of the municipality;

Provided further also that a no confidence motion shall not be brought against the direct elected Chief Councillor/Deputy Chief Councillor.

25 (4) Without prejudice to the provisions under this Act, if, in opinion of the Government having territorial jurisdiction over the Municipality the Chief Councillor/Deputy Chief Councillor absents himself without sufficient cause for more than three consecutive meetings or sittings or wilfully omits or refuses to perform his duties and functions under this Act, or is found to be guilty of misconduct in the discharge of his duties or becomes physically or mentally incapacitated for performing his duties or is absconding being an accused in a criminal case for more than six months, the Government may, after giving the Chief Councillor/Deputy Chief Councillor a reasonable opportunity for explanation, by order, remove such Chief Councillor/Deputy Chief Councillor from office.

Provided that after appointment of Lok Prahari, under section 44, the Government, may pass order under this sub-section only on the basis of recommendation of such Lok Prahari.

25 (5) The Chief Councillor/Deputy Chief Councillor so removed shall not be eligible for re-election as Chief Councillor/Deputy Chief Councillor during the remaining term of office of such Municipality.

9. ***Amendment of Section-26 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (2) of Section 26, wherever the word and number "sub-section (3)" occurs shall be substituted by the word and number "sub-section (2)".

10. ***Amendment of Section-27 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (1) (d) and sub section (2) of Section 27, wherever the word and number "sub-section (3)" occurs shall be substituted by the word and number "sub-section (2)".

11. ***Amendment of Section-29 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 29, wherever the words "Chief Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor and Deputy Chief Councillor".

12. ***Amendment of Section-35 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (1) of Section 35, wherever the words "Councillors" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

13. ***Amendment of Section-49 of Bihar Act 11, 2007.***—

(i) In the said Act in Section 49, wherever the words "Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

(ii) In the said Act in Explanation of Section 49, wherever the words "Councillors" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

14. ***Amendment of Section-50 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 50, wherever the words "Councillors" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

15. ***Amendment of Section-51 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in sub-section (1) of Section 51, the first and second proviso shall be deleted.

16. ***Amendment of Section-53 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 53, wherever the words "Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillor".

17. ***Amendment of Section-54 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 54, wherever the words "Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillor".

18. ***Amendment of Section-60 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 60, wherever the words "Councillors" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillors".

19. *Amendment of Section-61 of Bihar Act 11, 2007.*—In the said Act Section 61 shall be substituted by the following:-

Section 61-Circulation and inspection of minutes- Minutes of the proceedings of each meeting of the Municipality shall be circulated to Chief Councillor Deputy Chief Councillor and all the Councillors and shall, all reasonable times, be available at the office of the Municipality for inspection by Chief Councillors, Deputy Chief Councillors and any Councillor, free of cost, and by any other person on payment of such fees as the Municipality may determine.

20. ***Amendment of Section-417 of Bihar Act 11, 2007.***—In the said Act in Section 417, wherever the words "Councillor" occurs shall be substituted by the words "Chief Councillor, Deputy Chief Councillor and councillor".

21. ***Repeal and Savings:-***

(1) The Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2022 (Bihar Ordinance No. 01,2022) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred

by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or such action was taken.

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 176-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in